

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 5227/2025

अब्दुल मसीत कादरी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

आनंद कुमार एवं 10 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: राज कुमार श्रीवास्तव, शिव पूजन

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: हरि नारायण सिंह

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रार्थना के साथ किया है:-

"(A). एक रिट आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी करें, जिसमें सेटलमेंट अधिकारी चक्रबंदी औरैया को अपील संख्या 65/2024 (अब्दुल मसीत अहमद कादरी बनाम आनंद कुमार एवं अन्य) में चक्रबंदी अधिनियम की धारा 11 के तहत स्थगन आवेदन दिनांक 26.09.2025 को, जो सेटलमेंट अधिकारी चक्रबंदी औरैया के न्यायालय में लंबित है, निर्धारित अवधि के भीतर तेजी से तय करने का निर्देश दिया जाए।"

3. यह तर्क दिया गया है कि अपील के साथ दाखिल स्थगन आवेदन विचाराधीन है, जिससे वर्तमान याचिकाकर्ता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपरोक्त मामले के शीघ्र निस्तारण के लिए निर्देश जारी किया जाता है।
5. इस परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले को लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए, यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है। साथ ही सेटलमेंट अधिकारी चक्रबंदी, जिनके समक्ष उपरोक्त मामला निस्तारण हेतु लंबित है, को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से अधिमानतः दो महीने की अवधि के भीतर इसे तेजी से तय करें।
6. यह अपेक्षा की जाती है कि इसे कानून के अनुसार, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, एक तर्कपूर्ण और सुस्पष्ट आदेश द्वारा तय किया जाना चाहिए।

7. उपरोक्त निर्देश के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

22 जनवरी, 2026

प्रियंका